सरपंच एवं सचिव प्रशिक्षण कार्यशाला

जिला पंचायत बैतूल

सामाजिक न्याय विभाग केन्द्र सरकार के अधीन संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना,
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

सामाजिक न्याय विभाग राज्य सरकार के अधीन संचालित कार्यक्रम

- सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना,
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना,
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,
- नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना,
- नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृति योजना,
- नि:शक्त/बहुविकलांग नि:शक्तों को सहायक अनुदान योजना,
- स्पर्श अभियान,
- आम आदमी बीमा योजना,
- जनश्री बीमा योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,

- प्रारम्भ दिनांक – 19 नवम्बर 2007
- पात्रता – 60 एवं अधिक आयु के सभी बी.पी.एल. व्यक्ति
- पेंशन राशि – 60 से 64 वर्ष की आयु तक रू. 200 प्रतिमाह
- पेंशन राशि – 65 से 79 वर्ष की आयु तक रू. 275 प्रतिमाह
- पेंशन राशि – 80 वर्ष एवं अधिक आयु पर रू.500 प्रतिमाह
- भुगतान – माह की 5 तारीख तक
- भुगतान का माध्यम –डाकघर या सार्वजविक क्षेत्र के बैक खातों में

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,

- लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी में यह सेवा सम्मिलित है। आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस में पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र – मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय
- बेबसाईट – http://www.rural.nic.in
- कवरेज प्रमाण–पत्र– सभी निकाय सभी पात्र हितग्राहियों के कवरेज का प्रमाण–पत्र देंगे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,

- प्रारम्भ दिनांक – 01 अप्रेल 2009
- पात्रता – 40 से 64 वर्ष आयु की सभी बी.पी.एल. विधवा महिला
- पेंशन राशि – रू. 200.00 प्रतिमाह की 5 तारीख तक
- भुगतान – डाकघर या सार्वजविक क्षेत्र के बैक खातों में/मनीआर्डर
- लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी में यह सेवा सम्मिलित है। आवेदन प्राप्ति के 60 कार्य दिवस में पात्र विधवा महिला को सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र – मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत
- बेबसाईट – http://www.rural.nic.in
- क्वरेज प्रमाण–पत्र– सभी निकाय सभी पात्र हितग्राहियों के कवरेज का प्रमाण–पत्र देंगे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना,

- प्रारम्भ दिनांक – 01 अप्रेल 2009
- पात्रता – 18 से 64 वर्ष आयु के सभी बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति (**Severe or multiple disability ie., 80%** से अधिक निःशक्तता)
- पेंशन राशि – रू. 200.00 प्रतिमाह की 5 तारीख तक
- भुगतान – डाकघर या सार्वजविक क्षेत्र के बैक खातों में/मनीआर्डर
- लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी में यह सेवा सम्मिलित है। आवेदन प्राप्ति के 60 कार्य दिवस में पात्र निःशक्त व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र – मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत
- बेबसाईट – http://www.rural.nic.in
- क्वरेज प्रमाण–पत्र– सभी निकाय सभी पात्र हितग्राहियों के कवरेज का प्रमाण–पत्र देंगे।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना,

- प्रारम्भ दिनांक – 15 अगस्त 1995
- पात्रता – 18 वर्ष या अधिक 65 से कम आयु के सभी बी.पी.एल. कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आश्रितों (पति, पत्नि, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां एवं आश्रित माता पिता) कोएक मुश्त आर्थिक सहायता।
- पेंशन राशि – मुखिया की मृत्यु पर राशि रू. 10000.00 (मृत्यु प्रमाण–पत्र)
- भुगतान – एकाउण्ट पेयी में चैक द्वारा
- लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी में यह सेवा सम्मिलित है। आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में आश्रित व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र – मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत
- बेबसाईट – http://www.rural.nic.in

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,

- प्रारम्भ दिनांक – 19 नवम्बर 2007
- पात्रता – 18 से 64 तक आयु की निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिला
  – 60 से 64 तक आयु के निराश्रित व्यक्ति
  – 6 से 14 तक आयु के निःशक्त को स्कूल में भर्ती होने पर
- पेंशन राशि – रू. 150.00 प्रतिमाह की 5 तारीख तक
- भुगतान – डाकघर या सार्वजविक क्षेत्र के बैक खातों में
- लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी में यह सेवा सम्मिलित है। आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस में पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
- नगरीय क्षेत्र – मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत
- बेबसाईट – http://www.rural.nic.in
- कवरेज प्रमाण–पत्र– सभी निकाय सभी पात्र हितग्राहियों के कवरेज का प्रमाण–पत्र देंगे।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना–2007

- लागू दिनांक – 11 अक्टूबर 2007
- उद्धेश्य – प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर श्रमिक – ऐसे समस्त खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वनरोपण, तथा वनोपज संग्रहण आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हों तथा एक वर्ष में कम से कम 90 दिन उपरोक्त प्रकार के कार्यों में कार्यरत हो।
- पंजीयन – ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर 3 वर्ष के लिये पंजीयन एवं तीन वर्ष उपरान्त 10 रू. शुल्क लेकर नवीनीकरण
- परिचय पत्र – पंजीयन उपरान्त ग्राम पंचायत मजदूर को फोटो परिचय पत्र उपलब्ध करायेंगी।
- पंजीयन – पंजीयन न होने अथवा पंजीयन निरस्त करने अपील तहसीलदार / नायब तहसीलदार को अपील करें

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना–2007 अन्तर्गत सुविधाएं

1. प्रसूति सहायता –
2. छात्रवृति/मेधावी छात्र पुरस्कार
3. विवाह सहायता
4. चिकित्सा सहायता
5. दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रसूति सहायता

पंजीबद्ध मजदूर की पत्नि अथवा पंजीबद्ध महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निम्नानुसार लाभ दिये जायेंगे।

- 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि (रू.5124.00)
- पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि (रू.1830.00)।
- प्रसूति व्यय के रूपये 1000/- नगद। (यदि जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त न हो तो)

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत छात्रवृति

- पंजीबद्ध मजदूरों के बच्चों को छात्रवृति का लाभ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उनके योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार दिया जायेगा।
- बालिका को कक्षा 1 से 8वीं तक छात्रवृति का लाभ दिया जायेगा।
- बालक को 5वीं से 8वीं तक छात्रवृति का लाभ दिया जायेगा।
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला/महाविधालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृति जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत मेधावी छात्र पुरस्कार

- पंजीबद्ध एस.सी. एवं एस.टी. मजदूरों के बच्चों द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त किये जाने पर राज्य स्तरीय रू. 5000/– का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी को आयोजित समारोह में दिया जायेगा।
- पंजीबद्ध एस.सी. एवं एस.टी. मजदूरों के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एक छात्र एवं एक छात्रा को राज्य स्तर से रू. 2500/– का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र 26 जनवरी को आयोजित समारोह में दिया जायेगा।
- जिले में प्रतिवर्ष हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एस.सी. एवं एस.टी. एक छात्र एवं एक छात्रा को रू. 1000/– का पुरस्कार एवं अतिरिक्त प्रमाण–पत्र जिला स्तरीय समारोह में दिया जायेगा।
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला/महाविधालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृति/मेधावी छात्र पुरस्कार जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत विवाह सहायता

- पंजीबद्ध महिला मजदूर के विवाह
- पंजीबद्ध महिला मजदूर के एक बार पुनर्विवाह
- पंजीबद्ध मजदूर की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह

न्यूनतम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 10000 /– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

यह सुनिश्चित किया जाये कि पंजीबद्ध भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों को योजनान्तर्गत अथवा शासन की अन्य किसी योजनान्तर्गत एक स्थान से ही लाभ प्राप्त हो। प्रथमतः संबंधित विभाग की योजना में पात्रता न आने की दशा में ही इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत चिकित्सा सहायता

- पंजीबद्ध मजदूरों के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति–
- अधिकतम राशि रू. 30,000.00 प्रतिवर्ष
- ''दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना'' के नियम व मापदण्ड लागू होंगे।
- गम्भीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी।
- आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी सहायता दी जायेगी।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत
दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता

- पंजीबद्ध मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में
- अंत्येष्टी के लिये रू. 2000.00 की अनुग्रह सहायता परिवार के सदस्य /सरंपच ग्राम पंचायत/सचिव/कोटवार से प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत में उपलब्ध निधि से परिवार के सदस्य को तुरन्त प्रदाय हो।
- दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में राशि रू. 50000.00 की सहायता
- दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता होने पर राशि रू. 25000.00 की सहायता।
- योजनान्तर्गत राशि रू. 25000.00 की स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत को तथा इससे अधिक राशि के अधिकार जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत को होंगे।
- दुर्घटना में मृत्यु की दशा में इंदिरा कृभिा श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना या आर.बी.सी अथवा शासन अन्य किसी बीमा योजना में सहायता स्वीकृत होने पर इय योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल

निर्माण श्रमिक कौन?

- ऐसे व्यक्ति जो किसी भवन निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिये कार्य करता हो।
- किन्तु प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।
- श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक द्वारा पिछले 12 माहों में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल

पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी

- श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम निरीक्षक,।
- सहायक यंत्री पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी., आर.ई.एस.।
- ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।
- ग्राम पंचायत (सर्व) अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में।
- नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जहां सहायक श्रमायुक्त /श्रम पदाधिकारी का कार्यालय स्थिति है उस जिले के मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में यह कार्य श्रम विभाग को प्रदान किया गया है।
- जिले के शहरी क्षेत्र में तथा जिन जिलों में श्रम निरीक्षक पदस्थ हैं वहां के शहरी क्षेत्र में यह कार्य पदस्थ श्रम निरीक्षक तथा समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेंगे।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल

पंजीयन प्रक्रिया एवं पंजीयन शुल्क

- प्रथमबार पंजीयन तीन वर्ष के लिये ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर 10 रूपये भुगतान किया जा सकेगा।
- शुल्क प्राप्ति की रशीद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को दी जायेगी तथा प्राप्त शुल्क ग्राम पंचायत निधि में जमा होगा।
- आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति एवं तद्नुसार पंजीयन आदेश संबंधी निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जावेगा।
- पंजीयन आदेश के पश्चात पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से फोटो परिचय–पत्र जारी किया जायेगा।
- पंजीयन के 3 वर्ष उपरान्त 10 रूपये का शुल्क जमा कर नवकरण किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल

पंजीयन के संबंध में अपील

कोई भी व्यक्ति, पात्र निर्माण श्रमिक का पंजीयन न करने अथवा अपात्र श्रमिक का पंजीयन निरस्त कराने के लिये निम्नानुसार अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

- सहायक यंत्री पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी., आर.ई.एस. हेतु संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हेतु अपीली अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होंगे।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीयन आवेदन के विरूद्ध तहसीलदार/नायब तहसील अपीली अधिकारी होंगे।
- श्रम निरीक्षक की अपील सहायक पदाधिकारी /श्रम पदाधिकारी सुनेंगे।
- सहायक पदाधिकारी /श्रम पदाधिकारी की अपील सहायक श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त की अपील उप श्रमायुक्त सुन सकेगे।

निर्माण श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

1. प्रसूति सहायता योजना
2. शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना
3. मेधावी छात्र–छात्रा पुरस्कार योजना
4. विवाह सहायता योजना
5. चिकित्सा सहायता
6. दुर्घटना की स्थिति में सहायता योजना
7. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता
8. आवास ऋण योजना
9. पेंशन योजना

1. प्रसूति सहायता योजना

- पति या पत्नि में से कोई भी पंजीकृत /निर्माण श्रमिक परिचय –पत्र धारी हितग्राही।
- 6 सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में राशि रू. 5000.00 (पांच हजार) की एक मुश्त एकाउण्ट पेयी चैक से सहायता ।
- जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत अतिरिक्त राशि रू.1000.00 (एक हजार) की सहायता ।
- अधिकतम दो बार प्रसव हेतु पात्रता।
- प्रसूति होने के दिनांक से अधिकतम 60 दिवस के अन्दर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष जनपद पंचायत /एस.डी.एम./श्रम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- हिताधिकारी महिला श्रमिक की प्रसूति के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति हितलाभ एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्य को।
- रूपये 15000.00 तक स्वीकृति के अधिकार मु.का.अ. जनपद पंचायत /एस.डी.एम. /श्रम ायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को।

2.बच्चों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

क्रं.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1, से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं	750	1,000
3.	कक्षा 9वीं से 12वीं	1,000	1,500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./ डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./एम. कॉम/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर	4,000	5,000

2.शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

- पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी पात्र है।
- छात्र–छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हों।
- अधिकतम दो ही शिक्षारत बच्चों को पात्रता होगी।
- किसी वर्ष के लिये सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही पात्रता होगी।
- दूसरे विभाग की छात्रवृत्ति के साथ ही मण्डल द्वारा संचालित शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से 3 माह के अन्दर प्रवेश एवं उपस्थिति पर पात्रता।
- 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

2.शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

- शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय /महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में निजी विद्यालय /महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर शासकीय संकुल प्राचार्य/ जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रात्साहन राशि की स्वीकृति दी जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि की सूची परिचय पत्र क्रमांक सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सरसरी जाँच कर अधिकतम 15 दिवस में छात्रबार स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को भेजे जायेंगे।
- प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि के बेयरर चैक संबंधित छात्र को विरित कर सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2.शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

- नगरीय क्षेत्र में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि की सूची परिचय पत्र क्रमांक सहित संबधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी।
- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा सरसरी जाँच कर अधिकतम 15 दिवस में छात्रबार स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को भेजे जायेंगे।
- प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि के बेयरर चैक संबंधित छात्र को विरित कर सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि पात्र छात्रों से आवेदन भरवाएं एवं निर्धारित समय तक स्वीकृत राशि वितरित करें।
- प्रोत्साहन राशि ग्रीष्म अवकाश अवधि को छोड़कर 10 माह के शिक्षासत्र के लिये दी जावेगी।

3.मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

क्रं.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 5वीं से 7 वीं तक	500	750
2.	कक्षा 8वीं से 9वीं तक	750	1,000
3.	कक्षा 10वीं एवं 11 वीं	1,000	1,500
4.	कक्षा 12वीं	1,500	2,000
5.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने पर	2000	2,000
6.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.कॉम. आदि के लिये	2000	2,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने पर	3,000	3,000
7.	स्नातकोत्तर की कक्षा जैसे एम.ए./एम.कॉम आदि के लिये।	3,000	3,000

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल

3.मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

- पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री जो 5 वीं बोर्ड परीक्षा से स्नातकोत्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की किसी भी स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों को नगद पुरस्कार के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी।
- व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। न्यूनतम् एक वर्ष अध्ययन न करने पर राशि वापस करना होगी।
- अधिकतम एक ही योजनान्तर्गत नगद पुरस्कार राशि की पात्रता होगी।
- मण्डल की शिक्षा प्रोत्साहन राशि अथवा अन्य छात्रवृर्ति/शिक्षावृत्ति के अतिरिक्त यह नगद पुरस्कार के रूप में सहायता प्रदाय की जावेगी।
- नगद पुरस्कार राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय /महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी।

3. मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

- शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय /महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में निजी विद्यालय /महाविद्यालय के प्राचार्य/संसथा प्रमुख की अनुशंसा पर शासकीय संकुल प्राचार्य/ जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रात्साहन राशि की स्वीकृति दी जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा पुरस्कार राशि की सूची परिचय पत्र क्रमांक सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सरसरी जाँच कर अधिकतम 15 दिवस में छात्रबार स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को भेजे जायेंगे।
- प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि के बेयरर चैक संबंधित छात्र को वितरित कर सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3.मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

- नगरीय क्षेत्र में प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि की सूची परिचय पत्र क्रमांक सहित संबधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी।
- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा सरसरी जाँच कर अधिकतम 15 दिवस में छात्रबार स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को भेजे जायेंगे।
- प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकृत राशि के बेयरर चैक संबंधित छात्र को विरित कर सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि पात्र छात्रों से आवेदन भरवाएं एवं निर्धारित समय तक स्वीकृत राशि वितरित करें।
- सम्पूर्ण वर्ष की नगद राशि एक मुश्त 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से संबधित विद्यालय /महाविद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा प्रदाय होगी।

4. विवाह हेतु सहायता योजना

- पंजीकृत /निर्माण श्रमिक परिचय –पत्र धारी हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह /धमर्ज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री को पात्रता है।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक ।
- न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।
- राशि रूपये 10000.00 (दस हजार) की सहायता विवाह दिनांक को एकाउण्ट पेयी चैक द्वारा आवेदिका को देय।
- विवाह की प्रस्तावित तिथि से एक माह पूर्व कन्या से हस्ताक्षरित आवेदन कराना होगा। जिस पर श्रमिक का पजीयन क्रमांक भी अंकित होगा।
- स्वीकृति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में मु.का.अ. जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में एस. डी.एम./श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ।

5. चिकित्सा सहायता योजना

- पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को राज्य शासन की निम्न योजनाओं के समकक्ष योजनाओं के अन्तर्गत समकक्ष लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि, बीपीएल. श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल द्वारा समकक्ष लाभ देय होगा।
- शासकीय अस्पताल या मण्डल द्वारा अधिसूचित अस्पताल में आंतरिक (इनडोर) रोगियों को ही योजनान्तर्गत लाभ स्वीकृत किया जायेगा।
- रूपये 15000.00 तक स्वीकृति के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकार मु.का.अ. जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में एस.डी.एम./श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को।
- रूपये 15000.00 से एक लाख तक स्वीकृति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में मु.का.अ. जनपद पंचायत की अनुशंसा पर मु.का.अ. जिला पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में एस.डी.एम./श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर को है।

5. चिकित्सा सहायता योजना

- रूपये एक लाख से दो लाख तक स्वीकृति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में मु.का.अ. जिला पंचायत की अनुशंसा पर एवं नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागायुक्त को है।
- रूपये दो लाख से तीन लाख तक स्वीकृति के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में मु.का.अ. जिला पंचायत /कलेक्टर की अनुशंसा पर मण्डल के अध्यक्ष महोदय को है।
- स्वीकृत राशि सीधे संबंधित शासकीय चिकित्सालय/अधिसूचित निजी अस्पताल/नर्सिंग होम आदि को सीधे बैंक अकाउण्ट पेयी चैक से देय होगा।
- विशेष प्रकरणों में चिकित्सालय से अग्रिम का अनुमानित व्यय संबंधी विवरण प्राप्त होन पर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वविवेक से विशेभा प्रकरण में अधिकतम 5 हजार रूपये पंजीबद्ध श्रमिक को ही चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत कर एकाउण्टपेयी चेक द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

6. दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना

- दुर्घटना की स्थिति में सामान्य चिकित्सा सहायता के पाने के अतिरिक्त पंजीबद्व श्रमिक के निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हो जाने की दशा में–
- मजदूरी की क्षतिपूर्ति स्वरूप , काम पर न जा सकने के वास्तविक दिनों के लिये 50 रू. प्रतिदिन अथवा अधिकतम 1000 रू. तक शासकीय चिकित्सक के परामर्श के आधार पर सहायता देय होगी।
- निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार होने की दशा में घर/दुर्घटना स्थल से अस्पताल आने–जाने हेतु , विभागीय एम्बुलेन्स उपलब्ध न होन की दशा में परिवहन का बास्तविक व्यय अथवा 500 रू. जो भी कम हो मरीज द्वारा स्वयं प्रमाणित करने के आधार पर बाउचर की मांग किये बिना चिकित्सा व्यय की प्रति प्रर्ति के अतिरिक्त बेयरर चेक द्वारा देय होगा।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये स्वीकार योग्य व्ययों में वे सभी शुल्क स्वीकार योग्य होंगे जो अस्पताल द्वारा चार्ज किये गये है।

7. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

- पंजीकृत /निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से 25000.00 रूपये अनुग्रह राशि तथा 2000 रूपये अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी।
- पंजीकृत /निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 100000.00 रूपये (एक लाख) अनुग्रह राशि तथा 2000 रूपये अंत्येष्टि सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी।
- पंजीकृत /निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में स्थाई अपंगता की दशा में दुर्घटना एवं स्थाई अपंगता की जाँच उपरान्त राशि 75000.00 रूपये (पचहत्तर हजार) स्वीकृत की जायेगी।
- अंत्येष्टि सहायता राशि उत्तराधिकारी नगद भुगतान की जायेगी।
- अनुग्रह सहायता राशि एकाउण्ट पेयी चैक से उत्तराधिकारी को भुगतान की जायेगी।
- 18 से 60 वर्ष की उम्र के पजीबद्ध निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे।
- आत्म हत्या अथवा अपराधिक मृत्यु की दशा में पात्रता नहीं होगी।
- निर्मार्ण श्रमिक की मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र में मु. का.अ. जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम को आवेदन करना होगा। जहां जाँच उपरान्त आवेदन स्वीकृत किये जायेगे।

8. आवास ऋण सहायता योजना

- किसी पंजीबद्व भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक को स्वयं अथवा परिवार के सदसय के नाम पर मकान के क्रय या निर्माण के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कर एवं इस हेतु लिये गये ऋण पद देय ब्याज हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिये यह आवास ऋण योजना लागू की गई है।
- 6 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत /निर्माण श्रमिक हिताधिकारी।
- आवास /भूमि का अधिकृत एवं मालिकाना हक अविवादित हो।
- विकलांग, विधवा, विकास योजनाओं के कारण विस्थापित श्रमिक को प्राथमिकता।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत यदि किसी निर्माण श्रमिक को कुटीर प्रदाय किया गया है तो यह ऋण पर अनुदान की सहायता अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में मु. का.अ. जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम को आवेदन करना होगा। जहां जाँच उपरान्त आवेदन 60 दिवस के अन्दर निराकृत किये जायेगे।
- अनुदान सहायता राशि सीधे वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी।

9. पेंशन सहायता योजना

- पंजीबद्व निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो गई हो।
- निर्माण श्रमिक 6 वर्ष से अधिक समय से पंजीबद्व हिताधिकारी हो तथा पंजीयन में उसके द्वारा किये गये निर्माण कार्य का इन्द्राज हो।
- निर्माण श्रमिक को पंजीयन उपरान्त किसी भी रूप में पूर्ण विकलांग होने पर।
- पंजीबद्व निर्माण श्रमिक की मृत्यु होन पर उसकी जीवित विधवा/विधुर को।
- यदि शासन की किसी अनय पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे, ऐसे व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे।
- मंडल द्वारा योजना के अन्तर्गत देय पेंशन की दर रू. 300 प्रतिमाह आवेदक के बैंक /पोस्ट आफिस खाते से किया जायेगा।
- निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नि को आर्थिक सहायता के रूप में आजीवन पेंशन से लाभान्वित किया जायेगा।
- पेंशन सहायता पंजीबद्व रमिक को अनय प्रकार से प्राप्त सहायता के अतिरिक्त होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में मु. का.अ. जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम को आवेदन करना होगा। जहां जाँच उपरान्त आवेदन 60 दिवस के अन्दर निराकृत किये जायेगे।
- प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरान्त अनुमोदन हेतु मण्डल को भेजे जायेंगें। मण्डल के अनुमोदन पश्चात स्वीकृति आदेश जारी की जावेगी एवं पेशन आगामी माह से देय होगी।

योजनान्तर्गत विशेष प्रावधान

- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना–2007 के अंतर्गत भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में पंजीबद्व व्यक्ति मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पजीयन अथवा सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।
- एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्त्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। श्रमिक के लिये विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सहायता मिल रही है, उसका चयन वह कर सेकगा।
- सभी आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती जारी की जावेगी।
- पावती में आवेदक का नाम ,पता , रमिक पंजीयन क्रमांक एवं आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित की जावेगी।
- आवेदन का निराकरण लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय सीमा एवं अधिकतम 2 माह की सीमा में करना अनिवार्य है।
- आवेदन अस्वीकृत करने अथवा अमान्य करने की दशा में पंजीयन के प्रावधान अनुसार अपील का निराकरण भी अधिकतम 2 माह की सीमा में करना अनिवार्य है।

निर्माण एजेंसियों का पंजीयन

- केन्द्र अथवा राज्य सरकार या उसके नियंत्रण/अधीन कोई संस्था तथा निजी निर्माण ठेकेदार, बिल्डर सहकारी समीति, गृह निर्माण अथवा निर्माण क्षेत्र में संलग्न कोई भी एजेन्सी जो किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में वर्ष में किसी भी दिन 10 अथवा अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है।
- उपर्युक्त एजेंसी द्वारा स्थानीय श्रम कार्यालय में अपना पंजीयन 60 दिन की अवधि में कराना अनिवार्य है।
- विहित शुल्क एवं अभिकथित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
- किसी स्थापना के लिये नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया जाना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
- अधिनियम की धारा 50 के अनुसार श्रमायुक्त द्वारा 1000.00 रू. के आर्थिक दण्ड तथा उल्लघंन निरनतर रहने पर 1000.00रू. प्रतिदिन की दर उल्लघंन अवधि के लिये दण्डित किया जा सकेगा।

जनश्री बीमा योजना

प्रावधान एवं नियम

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 1 जनवरी 2009 से लागू।
- आम आदमी बीमा योजना में पंजीकृत समस्त ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छोड़कर समस्त ग्रामीण एवं शहरी बीपी.एल. परिवार शामिल।
- जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित सदस्य की बीमा संरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होती है।
- प्रति वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
- पात्र हितग्राहियों की पहचान की जाकर उनके आवेदन–पत्र भरकर निर्धारित प्रारूप में सूची साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में 25 मार्च तक मंडल प्रबन्धक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए, "जीवन प्रकाश " अरेरा हिल्स भोपाल, 462011 को भेजना अनिवार्य है।
- पंजीयन आवेदन–पत्र एवं शिक्षावृत्ति आवेदन–पत्र निःशुल्क प्रदाय किये जाते है।
- समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, द्वारा पात्र हितग्राहियों की छटनी कर योजना में पंजीकृत सूची जिले एवं संबंधित एजेन्सी को भेजी जाती है।

जनश्री बीमा योजना

पात्रता

- बीमित सदस्य – समस्त ग्रामीण एवं शहरी बीपी.एल. परिवार। (आम आदमी बीमा योजना में पंजीकृत समस्त ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छोड़कर)
- आयु – हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक हो।
  - आयु प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड
  - जन्म तिथि अंकित शाला प्रमाण–पत्र
  - मतदाता परिचय–पत्र
  - मनरेगा जाबकार्ड
- सदस्य – योजनान्तर्गत बीमा सदस्य परिवार का मखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदसय होना चाहिए।

जनश्री बीमा योजना

नोडल एजेन्सी

- राज्य स्तर – पंचायत राज संचालनालय, भोपाल
- जिला स्तर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- जनपद स्तर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

हितग्राही को प्राप्त हाने वाले लाभ

योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के बच्चों के लिये एक मुश्त एड–आन शिक्षावृत्ति के लाभ का प्रावधान है।

- कक्षा 9 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत
- प्रति बीमित परिवार केवल दो विद्यार्थी
- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी रूपये 100/–(रू.सौ मात्र) की शिक्षा वृत्ति
- हितग्राही को शासन द्वारा वित्त पोषित किसी एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

जनश्री बीमा योजना

हितग्राही को प्राप्त हाने वाले लाभ

योजनान्तर्गत बीमित सदस्य को निम्नानुसार लाभ का प्रावधान है।

सामान्य मृत्यु होने पर

रूपये 30,000/– (रूपये.तीस हजार मात्र)

दुर्घटना में

- मृत्यु होने पर – रू. 75,000/– (रू.पचहत्तर हजार मात्र)
- स्थाई अपंगता पर – रू. 75,000/– (रू.पचहत्तर हजार मात्र)
- एक आँख अक्षम होने पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)
- एक हाथ अक्षम होने पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)
- एक पांव अक्षम पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)

दुर्घटना से तात्पर्य

- वाहन दुर्घटना जैसे बस या अन्य कोई भी वाहन
- रासायनिक दुर्घटना
- प्राकृतिक आपदा
- सर्पदंश/जहरीला प्राणी/कीड़े द्वारा दंश
- डूबकर मृत्यु
- खदान में काम करते वक्त मृत्यु
- फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटना
- फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु।

दावा हेतु प्रक्रिया

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- मृत्यु प्रमाण–पत्र या पोस्ट मार्टम रिर्पोट
- दुर्घटना/अपघात/घटना में पूर्ण रूपेण स्थाई विकलांगता की दशा में लाभ प्राप्त करने दुर्घटना एवं स्थाई विकलांगता का डाक्यूमेंट्री प्रमाण–पत्र।
- पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिर्पोट की प्रति
- पुलिस फायनल रिर्पोट अथवा पुलिस में दुर्घटना पंजीबद्ध के 30 दिवस पश्चात संबंधित थाने में अंतिम कार्यवाही हेतु अभिस्वीकृति रिर्पोट।
- आवेदन संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को प्रेषित करेंगे।
- सभी प्राप्त आवेदन मंडल प्रबन्धक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए, "जीवन प्रकाश " अरेरा हिल्स भोपाल, 462011 को भेजे जायेंगे।

आम आदमी बीमा योजना

प्रावधान एवं नियम

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 2 अक्टूबर 2007 से प्रारम्भ।
- समस्त भूमिहीन ग्रामीण मजदूर परिवार शामिल।
- जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित सदस्य की बीमा संरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होती है।
- प्रति वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
- पात्र हितग्राहियों की पहचान की जाकर उनके आवेदन–पत्र भरकर निर्धारित प्रारूप में सूची साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में 25 मार्च तक मंडल प्रबन्धक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए, ''जीवन प्रकाश '' अरेरा हिल्स भोपाल, 462011 को भेजना अनिवार्य है।
- पंजीयन आवेदन–पत्र एवं शिक्षावृत्ति आवेदन–पत्र निःशुल्क प्रदाय किये जाते है।
- समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, द्वारा पात्र हितग्राहियों की छटनी कर योजना में पंजीकृत सूची जिले एवं संबंधित एजेन्सी को भेजी जाती है।

भूमिहीन की परिभाषा

- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 3–(अ) पृष्ठ क्र.773 के अनुसार

(1) भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 1:–

- ऐसे वास्तविक कृषक या कृषक मजदूर जो म.प्र. में कम से कम 12 वर्षो से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि नहीं हो।
- भूमिहीन व्यक्ति के कुटुम्ब में वह स्वयं, उसकी पत्नि या पति/पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, माता व पिता तथा सगे और सौतेले भाई कुटुम्ब में सम्मिलित माने जावेंगे।

(2) भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2:–

- ऐसे वास्तविक कृषक या कृषक मजदूर जो म.प्र. में कम से कम 12 वर्षो से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास कोई भूमि न हो

अथवा

- जिसके अपने कुटुम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से अथवा परिवार के सदस्य को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त भूमि में उसका व्यक्तिगत हिस्सा

  (एक) पहाड़ी अथवा पथरीली भूमि में एक हेक्टेयर या उससे कम असिंचित भूमि हो अथवा आधा हेक्टेयर या उससे कम सिंचित भूमि हो।

  (दो) अन्य प्रकार की भूमि में आधा हेक्टेयर या उससे कम असिंचित भूमि हो अथवा 1/4 हेक्टेयर या उससे कम सिचिंत भूमि हो।

आम आदमी बीमा योजना

पात्रता

- बीमित सदस्य– केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर।

  (जनश्री बीमा योजना में पंजीकृत समस्त हितग्राहियों को छोड़कर)
- आयु – हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक हो।
  - आयु प्रमाण पत्र हेतु राशन कार्ड
  - जन्म तिथि अंकित शाला प्रमाण–पत्र
  - मतदाता परिचय–पत्र
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जाबकार्ड
- सदस्य – योजनान्तर्गत बीमा सदस्य परिवार का मखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य ।

आम आदमी बीमा योजना

नोडल एजेन्सी

- राज्य स्तर – पंचायत राज संचालनालय, भोपाल
- जिला स्तर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- जनपद स्तर – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

हितग्राही को प्राप्त हाने वाले लाभ

योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के बच्चों के लिये एक मुश्त एड–आन शिक्षावृत्ति के लाभ का प्रावधान है।

- कक्षा 9 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत
- प्रति बीमित परिवार केवल दो विद्यार्थी
- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी रूपये 100/–(रू.सौ मात्र) की शिक्षा वृत्ति
- हितग्राही को शासन द्वारा वित्त पोषित किसी एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

आम आदमी बीमा योजना

हितग्राही को प्राप्त हाने वाले लाभ

योजनान्तर्गत बीमित सदस्य को निम्नानुसार लाभ का प्रावधान है।

सामान्य मृत्यु होने पर

रूपये 30,000/– (रूपये.तीस हजार मात्र)

दुर्घटना में

- मृत्यु होने पर – रू. 75,000/– (रू.पचहत्तर हजार मात्र)
- स्थाई पूर्ण अपंगता पर – रू. 75,000/– (रू.पचहत्तर हजार मात्र)
- एक आँख अक्षम होने पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)
- एक हाथ अक्षम होने पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)
- एक पांव अक्षम पर – रू. 37,500/– (रू.सैतीस हजार मात्र)

आम आदमी बीमा योजना

दुर्घटना से तात्पर्य

- वाहन दुर्घटना जैसे रेल बस या अन्य कोई भी वाहन
- रासायनिक दुर्घटना
- प्राकृतिक आपदा
- सर्पदंश/जहरीला प्राणी/कीड़े द्वारा दंश
- डूबकर मृत्यु
- खदान में काम करते वक्त मृत्यु
- फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटना
- फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु।

आम आदमी बीमा योजना

दावा हेतु प्रक्रिया

- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- आवेदक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने का प्रमाण–पत्र
- मृत्यु प्रमाण–पत्र या पोस्ट मार्टम रिर्पोट
- दुर्घटना/अपघात/घटना में पूर्ण रूपेण स्थाई विकलांगता की दशा में लाभ प्राप्त करने दुर्घटना एवं स्थाई विकलांगता का डाक्यूमेंट्री प्रमाण–पत्र।
- पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिर्पोट की प्रति
- पुलिस फायनल रिर्पोट अथवा पुलिस में दुर्घटना पंजीबद्ध के 30 दिवस पश्चात संबंधित थाने में अंतिम कार्यवाही हेतु अभिस्वीकृति रिर्पोट।
- आवेदन संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय को प्रेषित करेंगे।
- सभी प्राप्त आवेदन मंडल प्रबन्धक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए, ''जीवन प्रकाश '' अरेरा हिल्स भोपाल, 462011 को भेजे जायेंगे।

जनश्री एवं आम आदमी बीमा योजना दावा प्रकरणों में निम्न बातों का

- मृतक के दावेदार का बैक में खाता होना आवश्यक है, साथ ही बैंक का नाम, सीिन व बचत खाता संख्या, बुक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें।
- दावा प्रपत्र में खण्ड अ, ब से द रसीदी टिकिट लगाकर हस्ताक्षर कर पूर्ण रूप से भरकर भेजें।
- आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक, आयु अंकित हो प्रस्तुत करें।
- मूल सदस्यता फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ अवश्य भेजें।
- मृत्यु प्रमाण–पत्र सत्यापित किया हुआ हो।
- पालिसी नम्बर अवश्य अंकित किया जावें।
- दुर्घटना मं मृत्यु होने पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें– (अ) एफ.आई.आर. (ब) पोस्ट मार्टम रिर्पोट (स) पुलिस जाँच रिर्पोट (ग) पुलिस का निष्कर्ष / अंतिम रिर्पोट
- स्थायी पूर्ण/आंशिक अपंगता हितलाभ प्राप्त करने हेतु दावेदार के दुर्घटना के दस्तावेज प्रस्तुत करे एवं सरकारी अस्पताल या अर्हता प्राप्त हड्डी के डाक्टर से अपंगता चिकित्सा प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करें।

जनश्री एवं आम आदमी बीमा योजना दावा प्रकरणों में निम्न बातों का

- दावा प्रकरणों में संबंधित हितग्राही का एल.आई.सी.द्वारा जारी आई.डी. नम्बर अंकित होना चाहिए।
- मृत्यु दावा प्रकरणों में राशि–पावती पर रसीद–टिकट मय हस्ताक्षर के एवं उस पर सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोडल अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए।
- दुर्घटना मृत्यु दावों में प्रथम सूचना रिर्पोट, पोस्ट मार्टम रिर्पोट एवं पुलिस की अंतिम जाँच अथवा पुलिस में दुर्घटना पंजीबद्ध के 30 दिवस पश्चात संबंधित थाने में अंतिम कार्यवाही हेतु अभिस्वीकृति रिर्पोट प्रस्तावित करने का थाना–प्रभारी का प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिएं।
- कक्षा 9 से 12 वीं के शिक्षावृत्ति दावों में निर्दिष्ट स्थानों पर स्कूल के प्राचार्य के एवं अशासकीय शिक्षण संस्था की दशा में केन्द्राध्यक्ष, शासकीय प्राचार्य या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होना चाहिए।

निःशक्त छात्रवृति

- प्रारम्भ दिनांक – 19 नवम्बर 2007
- पात्रता – 6 से14 तक आयु के निःशक्त के स्कूल में भर्ती होने पर
- पालक/अभिभावक की वार्षिक आय – 96000/–
- पेंशन राशि – रू. 150.00 प्रतिमाह की 5 तारीख तक
- भुगतान – डाकघर या सार्वजविक क्षेत्र के बैक खातों में
- नगरीय क्षेत्र – प्राचार्य/प्रधान पाठक शैक्षणिक संस्था की अनुशंसा पर उपसंचालक सामाजिक न्याय
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

नि:शक्त छात्रवृति की प्रतिमाह दरें रूपये में

शाला स्तर	बालक दैनिक	बालक छात्रावासी	बालिका दैनिक	बालिका छात्रावासी
प्राथमिक शाला	25.00	—	35.00	—
माध्यमिक शाला	30.00	—	40.00	—
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	110.00	500.00	120.00	500.00
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)	60.00	50.00	60.00	60.00
स्नातक शिक्षा स्तर (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	250.00	500.00	250.00	500.00
स्नातक शिक्षा स्तर (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)	65.00	60.00	65.00	60.00

नि:शक्त छात्रवृति की प्रतिमाह दरें रूपये में

शाला स्तर	बालक दैनिक	बालक छात्रावासी	बालिका दैनिक	बालिका छात्रावासी
स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	300.00	525.00	300.00	525.00
स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)	60.00	50.00	60.00	50.00
डिप्लोमा पाठ्यक्रम में (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	250.00	500.00	250.00	500.00
डिप्लोमा पाठ्यक्रम में (अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग)	65.00	60.00	65.00	60.00

(अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्र–छात्राओं को विभाग द्वारा प्रदाय छात्रवृति के अतिरिक्त सा.न्या. वि. की उपरोक्त छात्रवृति प्राप्त होगी।

8 वीं में 60%से अधिक अंक प्राप्त करने पर निःशक्त को प्रोत्साहन राशि

- पात्रता — निःशक्त के 9 वीं कक्षा में नियमित छात्र के रूप में शाला में प्रवेश लेने पर
- पालक/अभिभावक की वार्षिक आय – 96000/–
- प्रोत्साहन राशि – रू. 2500.00 एक मुस्त
- भुगतान – एकाउण्ट पेयी चैक से
- नगरीय क्षेत्र – प्राचार्य/प्रधान पाठक शैक्षणिक संस्था की अनुशंसा पर उपसंचालक सामाजिक न्याय
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

दृष्टिवाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं को योजना के तहत स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्धयन हेतु क्रमशः रूपये 100/125/150 वाचक भत्ते के रूप में प्रदान किया जायेगा।

12 वीं में 60%से अधिक अंक प्राप्त करने पर निःशक्त को प्रोत्साहन राशि

- पात्रता –निःशक्त के स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में शाला में प्रवेश लेने पर
- पालक/अभिभावक की वार्षिक आय – 96000/–
- प्रोत्साहन राशि – रू. 3000.00 एक मुस्त
- भुगतान – एकाउण्ट पेयी चैक से
- नगरीय क्षेत्र – प्राचार्य/प्रधान पाठक शैक्षणिक संस्था की अनुशंसा पर उपसंचालक सामाजिक न्याय
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र–छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना 2008

- प्रारम्भ दिनांक – शैक्षणिक सत्र 2009–10 से लागू।
- पात्रता – 10+2 की शिक्षा पश्चात मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबन्धन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययनरत, 40% या अधिक निःशक्तता, पालक की वार्षिक आय 96000/– से कम हो, अन्य किसी योजना से लाभान्वित न हो।
- शिक्षण शुल्क – शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में सीधे जमा किया जायेगा। अशासकीय महाविद्यालय की अंतर की राशि छात्र को स्वयं वहन करना होगी।
- निर्वाह भत्ता – 1500.00 रू./माह की दर से 10 माह तक संबंधित महाविद्यालय /विश्वविद्यालय के माध्यम से एकाण्टपेयी चैक से भुगतान
- परिवहन भत्ता – नगरनिगम क्षेत्र में 500/–प्रतिमाह एवं नगरपालिका क्षेत्र में 300/–प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये।
- आवेदन पत्र – निर्धारित प्रारूप में संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में।

छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान योजना –2009

- प्रारम्भ दिनांक – 18 जून 2009 से लागू।
- उद्धेश्य – 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान
- पात्रता – 6 वर्ष से अधिक आयु का बहुविकलांग /मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन जिसके मातापिता/अभिभावक बीपीएल हो
- आवेदन – निर्धारित प्रारूप्प में किया जाना होगा।
- सहायता राशि – रू. 500.00 प्रतिमाह हितग्राही के संयुक्त बचत खाते में
- बैक खाता – निःशक्त हितग्राही का अभिभावक के साथ संयुक्त खाता खोला जाना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र मेंस्वीकृति– जनपद पंचायत के माध्यम से उपसंचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत होगें जो कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
- नगरीय क्षेत्र मेंस्वीकृति– नगरीय निकाय के माध्यम से उपसंचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत होगें जो कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम –2008

- प्रारम्भ दिनांक – 12 अगस्त 2008 से लागू।
- उद्धेश्य – 40% या अधिक नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिये प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा–पत्र
- पात्रता
  - – दम्पति म.प्र. राज्य का स्थाई निवासी हो(कम से कम 5 वर्ष)
  - – दम्पति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामाले में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो।
  - – शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
  - – विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित हो।
  - – दम्पति में से कोई सदस्य आयकर दाता न हो।
  - – दम्पति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो।

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम –2008

- आवेदन – निर्धारित प्रारूप्प में आवेदन पत्र, विवाह प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, नि:शक्तता प्रमाण–पत्र, 50 रू. के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विहित प्रारूप में शपथ–पत्र, वर–वधु का फोटोग्राफ्
- प्रोत्साहन राशि – दम्पति में से एक के नि:शक्त होने पर रू. 25000.00 एक बार दम्पति के संयुक्त खाते में निराश्रित निधि से
  – दम्पति में से दोनों के नि:शक्त होने पर रू. 50000.00 एक बार दम्पति के संयुक्त खाते में निराश्रित निधि से
- ग्रामीण/नगरी क्षेत्र – जनपद पंचायत के माध्यम से उपसंचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत होगें जो कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
- नगरीय क्षेत्र – नगरीय निकाय के माध्यम से उपसंचालक सामाजिक न्याय को प्रस्तुत होगें जो कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।